32

न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 03/2022 बउनवानी अवधेश शर्मा बनाम लो.सू.अधि.एवं जिला रसद अधि. सवाईमाधोपुर
पुत्र श्री पुरूषोत्तम शर्मा, सामाजिक कार्यकर्ता, नकटया का जगरा गणेश पीपली शहर सवाईमाधोपुर

GCMS No-2022/3

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिश्यिल जज
1.2.2022	पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही हुआ। लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी सवाईमाधोपुर की ओर से पैरोकार रसद उपस्थित। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने हेतु दिनांक 9.11.2021 को लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी सवाईमाधोपुर के कार्यालय में अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर प्रार्थना पत्र मे उल्लेखित निम्नांकित सूचनाऐं उपलब्ध कराये जाने हेतु निवेदन किया गया:– 1. कोरोनाकाल मे रसद विभाग सवाईमाधोपुन ने सवाईमाधोपुर जिले में (पिछले 2 वर्षो) लोगो को जितनी–जितनी सहायता के रूप मे व सरकारी आदेश अनुसार खाद्य सामग्री वितरित की सभी योजनाओं सहित बी.पी.एल., अन्त्योदय,ए.पी.एल, आस्था कार्ड धारी) की सम्पूर्ण जानकारी मय पत्रावली व दस्तावेज सहित सूचना उपलब्ध करावे। 2. कोरोना काल में खाद्य सामग्री, राशन डीलरो के अलावा और किन किन संस्थाओं व व्यक्तियों द्वारा कितनी कितनी वितरित की गयी है। राशन डीलरों,संस्थाओ व व्यक्तियों की सम्पूर्ण जानकारी पत्रावली व दस्तावेजो सहित उपलब्ध करावे। तथा यह भी बतावे कि रसद सामग्री में क्या क्या खाद्य सामग्री जिलें के लोगों को वितरित की । प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उल्लेखित सूचना, लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी सवाईमाधोपुर द्वारा अपीलान्ट को अन्दर मियाद उपलब्ध नही कराये जाने के कारण उक्त अधिनियम की धारा 19(1) के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी सवाईमाधोपुर को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया साथ ही सम्बन्धित उभयपक्षों की सुनवायी तलबी जरिये नोटिस की गयी। नियत पेशी पर अपीलान्ट उपस्थित नही हुआ। दौराने सुनवायी पैरोकार रसद ने लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी सवाईमाधोपुर की ओर से प्रस्तुत जवाब नोटिस क्रमांकः रसद/76 दिनांक 19.01.2022 की ओर ध्यान आकर्षित कर कथन किया कि अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 9.11.2021 के बिन्दु संख्या 1 की सूचना जिला रसद अधिकारी सवाईमाधोपुर के पत्रांक 584 दिनांक 13.12.2021 से तथा बिन्दु संख्या 2 की सूचना जरिये पत्रांक/रसद/75 दिनांक 19.1.2022 से अपीलान्ट को भिजवायी जा चुकी है। चूंकि अपीलान्ट द्वारा चाही गयी सूचना उसको उपलब्ध करवायी जा चुकी है। इसलिए अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने बाबत पैरोकार रसद द्वारा निवेदन किया गया। पैरोकार रसद द्वारा किये गये कथन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ, कि अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 9.11.2021 को प्रेषित प्रार्थना पत्र के बिन्दु संख्या 1 व 2 पर चाही गयी सूचना का अपीलान्ट द्वारा पूर्ण विवरण अंकित नही किया गया एवं चाही गयी सूचना प्रश्नात्मक होने के बावजूद भी लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलान्ट को दोनो बिन्दुओं की सूचना क्रमशः जरिये पत्रांक 584 दिनांक 13.12.2021 एवं पत्रांक 75 दिनांक 19.1.2022 से उपलब्ध करवायी जा चुकी है अतः लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलान्ट को वांछित सूचनाऐ उपलब्ध करवायी जा चुकी है। इसलिए अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो कर बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आदेश खुले न्यायालय मे सुनाया गया। Signature Not Verified Digitally signed by Suresh Kumar Ola Date: 2023.03.15 12:02:14 IST Reason: SelfAttested (सुरेश कुमार ओला) जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर